न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 173/2022

अन्तर्गत धारा 88 **RT Act.**

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
ढेलीदेवी पत्नी तोलूराम जाति कुमावत, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. मंढी पत्नी लतीफखान जाति मंगणियार, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. गोपालसिंह पुत्र दीपसिंह 4. सेजसिंह पुत्र दीपसिंह 5. नारायणसिंह पुत्र दीपसिंह जाति राजपुत, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीनी – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 14.02.2024

संक्षेप में वादीनी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा हड़वा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 540/90 रकबा 12.3024 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में पूर्व में वादीनी द्वारा नेखमबंदी करवाई हुई है, जिसमें वादीनी को मौके पर अपने खेत की पैमाईश कर अपने कब्जा काश्त अनुसार कब्जा दिलाया गया। उक्त वादग्रस्त खेत की पैमाईश के बाद किसी प्रकार का विवाद नहीं था तथा मैमीट्रेस नक्शा सही था। उक्त तरमीम पुराने कपड़े पर की होने से प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व कार्मिकों से मिलीभगत करते हुए नये नक्शा में त्रूटिवश गलत तरमीम अंकित कर दी गई है। जबकि विवादित आराजी में वादीनी में पक्के मकान आदि बने हुए है। परन्तु बाद में गलत तरमीम की गई, जिससे मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में भारी भिन्नता आ गई है। इस प्रकार वादीनी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में ऑनलाईन नक्शा में की गई गलत तरमीम को निरस्त करवाते हुए पुराने नक्शे अनुसार एवं मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने की अधिकारीणी होने से लट्ठा नक्शा में सही तरमीम हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार शिव से उक्त तरमीम के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे हैं। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीनी के कब्जा काश्त एवं वर्तमान तरमीम की मौका स्थिति में भिन्नता है, जिसमें मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा 'परिशिष्ट ब' अनुसार वादीनी का मौके पर कब्जा काश्त दर्शाते हुए तदनुसार तरमीम संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

दौरान बहस अधिवक्ता वादीनी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में वर्तमान में विद्यमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा 'परिशिष्ट ब' अनुसार तरमीम संशोधन करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली में तहसीलदार शिव से वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान विद्यमान तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त में भिन्नता है, जिससे मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार दुरस्त किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादीनी अधिवक्ता द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम संशोधन/दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौके पर वादीनी के कब्जा काश्त अनुसार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट'ब' अनुसार तरमीम संशोधन/दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हड़वा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 540/90 रकबा 12.3024 हैक्टेयर भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम संशोधन/दुरस्त किये जाने का आदेश पारित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO)-शिव

Scanned with OKEN Scanner